अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा दिनांक–02.08.2014 को सुगौली, प्रखंड, अंचल एवं मनरेगा कार्यालय का किए गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक–02.08.2014 को सुगौली, प्रखंड, अंचल एवं मनरेगा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्न प्रकार है :–

(A) प्रखंड कार्यालय, सुगौली

(1) **उपस्थिति पंजी** :– सर्वप्रथम उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्री इंदुभूषण चौधरी, सहायक अनुपस्थित पाये गये। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उन्हें पत्रांक–564 दिनांक–14.7.14 से प्रभार देने के लिए विरमित किया गया था परन्तु वे दिनांक–2.8.14 तक कार्यालय में वापस योगदान नहीं किए हैं। उपरोक्त के आलोक में जिला स्थापना शाखा को निदेश दिया जाता है कि उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे तबतक ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' के सिद्धांत पर उनका वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है।

(2) श्रीमती जैबु नेशा, पदचर, सुगौली बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनका दिनांक–2.8.14 का वेतन कटौती करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य के साथ जिला स्थापना शाखा को भेजना सुनिश्चित करें।

(3) **रोकड़ पंजी** :– सामान्य रोकड़ बही का निरीक्षण करने पर पाया गया कि इसे दिनांक–27.7.2014 तक लिखा गया है। अग्रिम मद में 99,41,592 रूपये दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी अग्रिम मद में 13,71,499 रूपये दर्शाया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बैंक रिकंसिलेशन दिनांक–5.6.14 को किया गया है परन्तु बैंक रिकंसिलेशन के समय बैंक में उपलब्ध राशि एवं रोकड़ बही में उपलब्ध राशि में काफी अन्तर है। उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर की अध्यक्षता में जिला लेखा पदाधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक की एक टीम गठित की जाती है जो रोकड़ बही में अन्तर राशि की जॉच कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ दिनांक–20.8.14 तक समर्पित करना सुनिश्चित करेगी।

(4) **जन शिकायत पंजी** :– जन शिकायत के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री सेवा यात्रा, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं जिला जन शिकायत कोषांग के एक माह से अधिक के मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पूर्वी चम्पारण को निदेश दिया जाता है कि इसका मिलान करवाकर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(5) **माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी** :– माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी के निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 में एक आवेदन आशा देवी से संबंधित लम्बित है, जिसके संबंध में तथ्य विवरणी तैयार कर जिला विधि शाखा में प्रेषित कर दिया गया है।

(6) **सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना** :– निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पूर्व में प्राप्त दावा आपत्तियों के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मिलान सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना कोषांग से करा लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि शेष जॉच किए हुए आवेदन–पत्र दिनांक–8.8.14 तक जिला कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाएँगे। द्वितीय चरण, जिसमें दिनांक–31.7.14 तक आवेदन–पत्र प्राप्त किया जाना था, के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आवेदन–पत्रों को छाँटने की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात अंतिम ऑकड़ा जिला कार्यालय का प्रेषित किया जायेगा। इस हेतु कार्यालय में विवरणी तैयार की जा रही है। इन सभी आवेदन–पत्रों का सत्यापन भी कराया जाना आवश्यक है। इस आलोक में निदेश दिया गया कि प्राप्त आवेदन–पत्रों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर दिनांक–8.8.14 तक सभी आवेदन–पत्र जिला कार्यालय के COTS में इन्दराज हेतु उपलब्ध करायेंगे।

(7) **आर0टी0पी0एस0 पंजी** :– इस पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आज की तिथि में आवेदन–पत्रों को इन्दराज नहीं किया गया है। दिनांक–1.8.14 में आवेदन–पत्र शून्य दिखाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रतिदिन कार्यालय में पूर्वा0 10.00 बजे आर0टी0पी0एस0 से संबंधित रजिस्टर में प्रतिवेदन अंकित कर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे।

(8) **वृद्धावस्था पेंशन** :– समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न मदों में पेंशन राशि का आवंटन सभी प्रखंडों में प्राप्त कराया गया है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यादेश उपस्थापित करते हुए बताया गया कि उनके यहाँ 16 पंचायतों में दिनांक–6.8.14 से लेकर 12.8.14 तक राशि का वितरण कार्य किया जायेगा। उपरोक्त के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ससमय राशि की व्यवस्था, वितरण पंजी एवं कैम्प अभिश्रव की तैयारी सुनिश्चित करेंगे।

(9) **इन्दिरा आवास योजना** :– दिनांक–11.8.14 एवं 12.8.14 को जिला में इंदिरा आवास से संबंधित द्वितीय किस्त एवं आपदा से प्रभावित लोगों के लिए विशेष कैम्प प्रस्तावित है। उपरोक्त के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि द्वितीय किस्त के लिए 456 आवेदन–पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिसके संबंध में स्थल निरीक्षण किया जा रहा है एवं आपदा से संबंधित भी स्थल निरीक्षण कर सूची बनाने का कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त दोनों कार्यों में निदेश दिया गया कि ससमय न सिर्फ सूची बल्कि बैंक में खाता खोलवाने एवं पास बुक में राशि का इन्दराज कराकर माननीय जन प्रतिनिधि के समक्ष कैम्प में वितरण सुनिश्चित कराया जाय।

(B) अंचल कार्यालय, सुगौली

(1) **उपस्थिति पंजी** :– उपस्थिति पंजी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि श्री संदीप कुमार जो वर्तमान में अंचल कार्यालय, सुगौली में प्रधान सहायक के पद पर पदस्थापित हैं। वे बिना सूचना के 12.7.2014 से अनुपस्थित हैं। अतः उपरोक्त के आलोक में जिला स्थापना शाखा उपरोक्त कर्मी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे तबतक दिनांक–12.7.14 से "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है।

(2) **आर0टी0पी0एस0 पंजी** :– आर0टी0पी0एस0 पंजी में दिनांक–1.8.2014 के प्रतिवेदनानुसार दाखिल–खारिज में 11 एवं एल0पी0सी0 में 02 आवेदन–पत्र निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लम्बित दर्शाया जा रहा है। उपरोक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोतिहारी सुओ–मोटो अपील दायर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, जिम्मेवार कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(3) **माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी** :– माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी का निरीक्षण करने पर सी0डब्लू0जे0सी0 9863/13 नवल राय बनाम राज्य के संबंध में अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त से संबंधित तथ्य विवरणी तैयार किया गया है परन्तु यह मामला अनुकम्पा के आधार पर बहाली से संबंधित है एवं आवेदन कर्त्ता के द्वारा अपने आवेदन को विहित प्रपत्र में अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई लम्बित है। अतः उपरोक्त के आलोक में अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि यही कारण दर्शाते हुए तथ्य विवरणी तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रति शपथ–पत्र दायर करना सुनिश्चित करें। साथ ही, आवेदनकर्त्ता से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा सहित जिला सामान्य शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा उपरोक्त आवेदन–पत्र को आगामी अनुकम्पा समिति की बैठक में उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन–अंचलाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

(4) सी0डब्लू0जे0सी0सं0–1595/11 प्रभात कुमार वर्मा वनाम राज्य में अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि यह मामला अतिक्रमण से संबंधित है और इसे आज ही हटाया जाना है, जिसपर उन्हें अबिलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा तथ्य विवरणी तैयार कर जिला विधि शाखा में जमा करने हेतु निदेशित किया गया।

(5) **जन शिकायत पंजी पंजी** :– जन शिकायत पंजी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सेवा यात्रा का 6, मुख्यमंत्री सचिवालय का 6 एवं जिला जन शिकायत से संबंधित 35 मामले लम्बित बताये गये परन्तु उपरोक्त के आलोक में कोई भी परिवाद–पत्र/प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जो पंजियाँ तैयार की गई है वे

अधोहस्ताक्षरी के निदेश के बाद माह जून से तैयार की गई है। इन पंजियों के अवलोकन से अंचल में कितने मामले लम्बित है, स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त के आलोक में पंजी का सही संधारण एवं लम्बित मास्टर सूची तैयार करने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया।

(6) अधोहस्ताक्षरी के जन शिकायत में कई तरह के मामले प्रकाश में आते हैं परन्तु इनमें से तीन प्रकार के मामले यथा–सरकारी जमीन का अतिक्रमण, बेदखली एवं बंदोवस्ती के मामलों की सघन अनुश्रवण जिला स्तर पर किया जाता है। इस संबंध में जिला राजस्व शाखा ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन तीनों विषयों से संबंधित मामलों को अलग पंजी में दर्ज कर पाक्षिक अवधि में निष्पादन करते हुए जिला राजस्व कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे परन्तु अंचल कार्यालय, सुगौली में इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो खेद का विषय है। उपरोक्त के आलोक में अंचलाधिकारी को खेद संसूचित करते हुए निदेश दिया जाता है कि इन तीन विषयों से संबंधित मामलों में तत्क्षण कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(7) **<u>महादलित वास रहित परिवारों का सर्वेक्षण</u>** :– निरीक्षण के कम में पाया गया कि सुगौली अंचल में महादलित वास रहित परिवारों का द्वितीय सर्वेक्षण 3924 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 714 शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों के रूप में चिन्हित किया गया है जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी कर्मचारियों के साथ बैठक कर इस ऑकड़ा का मिलान सुनिश्चित करें। साथ ही, इन सभी स्थानों का स्थल निरीक्षण भी करें। दिनांक–15.8.2014 के पूर्व पर्चा वितरण का एक विशेष शिविर जिला मुख्यालय में आयोजित किया जायेगा, जिसमें सभी अंचलाधिकारी को 50–50 पर्चा की तैयारी करने हेतु निदेशित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव दिनांक–4.8.2014 तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोतिहारी के पास भेज दिया जायेगा। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि उपरोक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) **<u>रोकड़ बही</u>** :– अंचल कार्यालय का रोकड़ बही दिनांक–24.7.2014 तक लिखा हुआ पाया गया। बैंक रिकंसिलेशन जून माह में किया गया है।

(C) <u>मनरेगा कार्यालय, सुगौली</u>

(1) निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, सुगौली के द्वारा बताया गया कि श्री दिलीप कुमार राम, पंचायत रोजगार सेवक दिनांक–14.4.2014 से बिना सूचना के अनुपस्थित हैं।

उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण को निदेश दिया जाता है कि उक्त पंचायत रोजगार सेवक की विधिवत् संविदा समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जाय।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या– /गो0 मोतिहारी, दिनांक– वीं अगस्त, 2014

प्रतिलिपि– प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुगौली/अंचलाधिकारी, सुगौली/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, सुगौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी/स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा/विधि शाखा /जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/कार्यालय अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या– 1531/गो० मोतिहारी, दिनांक– 06 वीं अगस्त, 2014

प्रतिलिपि– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5/8

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।